



584/1

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव नेत्रना केन्द्र, 10 अशोक गार्ड, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५८८० / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६  
सेरा में,

दिनांक २२ मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फैजाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में गिर्मालेखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त की जा रही है-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
बैंक ऑफ बड़ौदा	00670100024305	IFSC Code BARBOAIZAB	20.062
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र० रु०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किसें की घनराशि, का प्रेषण
1	फैजाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फैजाबाद	ककरही वाजार में प्रेम नारायण के घर से अली जैसवाल के घर तक, राकील पहलवान के घर से मरिजद तक एवं डॉ अर्तीक के घर से गनमोहन गुप्ता के घर तक पेवर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.534
2	फैजाबाद	अल्पसंख्यक 37 बजट	न०पा०प० फैजाबाद	अशवानीपुरा में नारीस अहमद के घर से महताव के घर तक, शकुना के घर से चाद व वराती के घर तक, फिरोज के घर से एकलाक के घर तक, मो० इंदरीश के घर से मो० जीलानी के घर तक एवं एकलाक के घर से अमीम के घर तक पेवर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.528
	योग				20.062

उपरोक्त अवमुक्त घनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत लौ०पी०आ००/परियोजना के अनुसार ही किया जाये-

- 1— उप्र० सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत लौ०पी०आ००/परियोजना के अनुसार क्षेत्र कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलोप्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित प्रशावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्ध स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रत्नर रा तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही घनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में सज्ज सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से घनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिरासे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत घनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय रत्नर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वास्तविकता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



58412

दूरध्वाः 2286709  
2286710

नव नगरा केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा दिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि हूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शतों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निर्धारित भद्र में व्यय की जाएगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्नोत्त पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किरी अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। उपरोक्त अंकित कार्यों में योद्दे कार्य/धनराशि की देसापुत्रि हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की लिंगित में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संघरक्ता रूप से उत्तरदायी होंगे।
- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुग्रह सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमनुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल अस्ताप रिंड)  
वित्त नियन्त्रक(लाल अस्ताप रिंड)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, राज्य समिति जनपद।
- अपर निदेशक, रूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता-सूचा।।
- कम्यूटर सेल/लेखा विभाग-रूडा।।